कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 990/ सम्पदा ई पंजीयन – 92/2015 भोपाल, दिनांक 31.07.2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश।

विषय – दिनांक 01.08.2015 से सम्पूर्ण प्रदेश में सम्पदा ई–पंजीयन अनिवार्य किए जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन द्वारा दिनांक 01.08.2015 से सम्पूर्ण प्रदेश में सम्पदा ई–पंजीयन अनिवार्य किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में उप पंजीयकों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए –

1. अंगुष्ठ पंजी, फी–बुक एवं रसीद पुस्तक दिनांक 31.07.2015 को लाल स्याही से बंद (Closed) लिख कर हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित किया जाए।
2. धारा 47–क तथा धारा 33 की पंजी दिनांक 03.08.2015 को अनिवार्य रूप से उपर्युक्तानुसार बंद की जाए।
3. कार्यवाही पुस्तक में समस्त प्रविष्टियां दिनांक 03.08.2015 तक की जाकर उसे अनिवार्य रूप से उपर्युक्तानुसार बंद किया जाए।
4. कैश–बुक दिनांक 01.08.2015 को प्रातः 11.00 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद की जाए।

जिला पंजीयक यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगे कि उप पंजीयकों द्वारा उक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। स्वयं उनके द्वारा मूल दस्तावेजों के आधार पर उप पंजीयक द्वारा सन्दर्भित प्रकरण प्रत्येक स्थिति में दिनांक 04.08.2015 तक दर्ज किए जाएं और धारा वार अन्तिम प्रकरण क्रमांक एवं पक्षकारों के नामों की सूचना मुख्यालय भेजी जाए।

Dipali Rastogi
(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 991/ सम्पदा ई पंजीयन – 92/2015 भोपाल, दिनांक 31.07.2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।